भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1921

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

नौकरियां पुनर्बहाल किया जाना

1921. श्री डी. एम. कथीर आनन्द:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड वैश्विक महामारी के बाद देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के संबंध में कोई सर्वेक्षण या अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि असंगठित क्षेत्रों में बीस करोड़ कामगार और संगठित क्षेत्रों में पांच करोड़ कामगार कोविड वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उनकी नौकरियां छूट गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा नौकरियां पुनर्बहाल करने के लिए क्षेत्र-वार क्या उपयुक्त कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किए गए नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 49.8%, 50.2%, 53.5% और 54.9% थी, जो वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिक चिंता है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

(डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आदि के माध्यम से देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने विशेष रूप से प्रवासी कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के हिस्से के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक की राजकोषीय प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है। इसमें इन सभी क्षेत्रों के लिए अनेक पहलें शामिल हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए लागू किया है ताकि विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें यथा मैचिंग जॉब, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रम की जानकारी, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि।

*****